पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)

Website: - www.klsgaci.edu.in

दूरभाष क्रं.–0755–2910370

(पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु ई–निविदा की नियम एवं शर्ते)

1. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल के चिकित्सालय में राज्य शासन के पेंशनर तथा अन्य उपचार योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार की औषधियां स्थानीय क्रय के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु (बर्ष 2020–21) ई–निविदा प्रकिया के अन्तर्गत निविदाये आंमत्रित की जाती है। जो कि https://mptenders.gov.in/ पर निधार्रित समयावधि में उपलब्ध है । निविदा प्रस्तुत करने की नियम निर्देश एवं शर्ते महाविद्यालय की वेवसाइट http://www.klsgaci.edu.in पर भी प्रदर्शित है ।

2 ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08.07.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक है, तथा ई निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 08.07.2020 को सांयः 05.00 बजे तक हैं, । ई–तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 10.07.2020को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक 13.07.2020 को दोपहर 02.00 बजे https://mptenders.gov.in/से डाउनलोड की जावेगी।

3. ई–निविदा विड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

4. इच्छुक ई–निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र को https://mptenders.gov.in/से ई–निविदा राशि रू. 1000/– का भुगतान कर डाउनलोड कर सकते है ।

5. राज्य शासन के पेंशनर्स तथा अन्य उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा हेतु आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त एवं पेटेन्ट औषधियां ही सप्लाई की जाना है।

6. देय औषधियों का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे अर्थात् एक दिवस में संस्थान चिकित्सालय के स्टोर में औषधियां प्रदाय करनी होगी। इसके लिए पृथक से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। अधिकतम खुदरा मूल्य मे से छूट राशि को कम कर शेष राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी.देय होगा ।

7. औषधियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देय होगी, इस हेतु वित्तीय निविदा में खुदरा मूल्य से छूट का प्रतिशत अंकों व शब्दों में **केवल https://mptenders.gov.in पर ई–वित्तीय निविदा की एक्सल शीट BBQ में अंकित करना है ।**

8. औषधियों के आदेशानुसार पृथक–पृथक देयक तीन प्रतियों में संस्थान चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

9. औषधियों के गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण चिकित्सालय के अधीक्षक के द्वारा मान्य होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।

10. किसी भी पेंशनर या अन्य उपचार योजना के अन्तर्गत हितग्राही रोगी की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर आदेश तत्काल निरस्त कर दिये जावेगें एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

11. औषधियां प्रदाय की अवधि एवं दरें 31 मार्च 2021 तक के लिये मान्य होगी। दोनों पक्षों की सहमति से समान शर्तो के साथ समयावधि में एक बर्ष की वृद्धि की जा सकती है।

12. तकनीकी निविदा के साथ ई.एम.डी.राशि रूपये–100000/–(रूपये एक लाख मात्र) का बैक ड्राफट जमा करना होगा। जिस फर्म की निविदा मान्य होगी, अनुबंध होने पर बिना ब्याज के ई.एम.डी.राशि वापस कर दी जावेगी।

13. ई–निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।

14. सफल ई–निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत तक की राशि जमा करना होगा।

15. जिस फर्म को औषधियां प्रदाय हेतु आदेश किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तो का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से औषधियां प्रदाय नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की जावेगी।

16. वांछित सभी कम्पनियों/फर्मो/फार्मेसियों की दवायें उपलब्ध करवाना होंगी।

17. निविदाकर्ता फर्म का गुमास्ता संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है।

18. निविदाकर्ता फर्म का वार्षिक टर्न ओव्हर न्यूनतम 10 लाख होना आवश्यक है। विगत 03 वर्षो का आईटीआर की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

19. आवदेनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबधित फर्म की निविदा/अनुबध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र राशि रुपये 50.00के नान जूडिशियल स्टांप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

20. ई–निविदा खोलने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि होने का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर ही, शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।

21. जिस फर्म द्वारा खुदरा मूल्य पर छूट का प्रतिशत अधिक होगा उसी फर्म की निविदा स्वीकार होगी, यदि निविदा की छूट का प्रतिशत समान होता है, तो उसे लाटरी सिस्टम से खोला जावेगा, जिसे सभी को मान्य करना होगा।

Scanned with CamScanner

22. ई–निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।

24. ई–तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजो की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई.एम.डी.राशि के मूल बैक ड्राफट के साथ ई–तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।साथ ही बैक ड्राफट की छायाप्रति ई–तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

25. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।

26. ई–तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांछित दस्तावेजों (चेक लिस्ट के अनुसार)को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा ।

27. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

Scanned with CamScanner

चेक लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	संलग्न हां / नहीं
1	गुमास्ता की छायाप्रति (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)	
2	पेनकार्ड की छायाप्रति (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)	
3	GSTIN.(पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।) GST जमा संबधी विगत दो वित्तीय वर्षो का आनलाइन पत्रक(तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)	
4	वर्ष 2018–19 में टर्न ओवर की राशि(आयकर की विवरणी की अभिस्वीकृति संलग्न करे)(विगत 03 वर्षो (2016–17, 2017–18, 2018–19)का आईटीआर की प्रति तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है)	
5	ई.एम.डी.राशि के बैक ड्राफट की छायाप्रति तकनीकी निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।	
6	ब्लैक लिस्ट न होने का घोषणा प. रु 50.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर (तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।)	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर..............................

निविदाकर्ता का नाम..............................

फर्म का नाम ....

पता..............................

मोबाइल नं..............................

Scanned with CamScanner

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

पेंशनर्स एवं अन्य उपचार योजनान्तर्गत औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु निविदा पत्र का प्रारूप

भाग–एक

(तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम------------------------------------फर्म के मालिक/पार्टनर का नाम---------------पिता का नाम--------------------
2. स्थाई पता--
3. वर्तमान निवास का पता---

   ----
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर--
5. GSTIN ---

   (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है)
6. ई.एम.डी.राशि अंको मे ....शब्दों मे ....

बैक का नाम	राशि	दिनांक

नोट– ई.एम.डी.राशि के बैक ड्राफट की छायाप्रति (ई–तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है) एवं ई.एम.डी.राशि का मूल बैक ड्राफट ई–तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

7. जी.एस.टी.जमा सम्बधी विगत दो बर्षो का आनलाइन पत्रक तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
8. वर्ष 2018–19 में टर्न ओवर की राशि--------------------------

   (विगत तीन बर्षो की आयकर की विवरणी की अभिस्वीकृती तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है)
9. पैन नंबर ....पैन कार्ड की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है
10. गुमास्ता नं..............दिनांक....................(प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है)।
11. किसी संस्था में ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र राशि रु 50.00 के नान जूडिशियल स्टांप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-------------------

फर्म का नाम..

Scanned with CamScanner

भाग 02 ई–वित्तीय निविदा

	प्रतिशत	
	अंकों में	शब्दों में
खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट		

उक्त प्रपत्र प्रारुप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार छूट राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है ।

Scanned with CamScanner